

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2023—फाल्गुन 5, शक 1944

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 13 फरवरी 2023

क्र. 56.—मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नगर परिषद्, शामगढ़, जिला मन्दसौर की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची-1 में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है.

अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों में अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है, तो इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर, जिला मन्दसौर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

### अनुसूची-1

क्र.	शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायत	शामिल किये जाने वाले ग्राम (संपूर्ण राजस्व ग्राम)	तहसील	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कस्बा शामगढ़ की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र.	कस्बा शामगढ़ की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र.	शामगढ़	1475.30
कुल क्षेत्रफल :				1475.30

## अनुसूची-2

अनुसूची-1 में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर परिषद्, शामगढ़ की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है :-

- उत्तर में—** सर्वे नम्बर 01 शासकीय बर्डी से लेकर सर्वे क्रमांक 381 कालुराम दुलेसिंह तक सम्पूर्ण सर्वे नम्बर को घेरते हुए सगोरिया एवं चांदखेड़ी कांकड तक.
- दक्षिण में—** सर्वे क्र. 904 गोपालसिंह किशनलाल व जोरावरसिंह मोतीसिंह से लेकर सर्वे क्र. 1432 शासकीय भूमि के मध्य के समस्त सर्वे नम्बर को घेरते हुए बरखेडा उदा धामनिया दीवान व सेमलीशंकर की कांकड तक.
- पूर्व में—** सर्वे नम्बर 381 कालुराम दुलेसिंह से लेकर सर्वे नम्बर 1432 शासकीय तक के सम्पूर्ण सर्वे नम्बर को घेरते हुए ढाबलागुर्जर मकडावन व सेमलीशंकर की कांकड तक.
- पश्चिम में—** सर्वे नम्बर 1 शासकीय बर्डी से लेकर सर्वे नम्बर 904 गोपालसिंह किशनलाल के मध्य के समस्त सर्वे नम्बरों को घेरते हुए छायन जमुनिया व बरखेडा उदा कांकड तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौतम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Mandsaur, the 13<sup>th</sup> February 2023

No. 56.—In exercise power Conferred by Section 5-A of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government here by notify its intension to include the local area which are shown in the Schedule's below with in the limit of the Shamgarh Nagar Parishad, District Mandsaur.

The Local authority having jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suggestion in writting to the Collector District Mandsaur within thirty days from the date of publication of the's notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government will take such objection in to consideration :—

## SCHEDULE-1

S. No.	Name of the Urban Area/ Gram Panchayat	Name of Villages to be include (whole Revenue Village)	Tehsil	Area (in Hactares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kasba Shamgarh all Revenue Land Area	Kasba Shamgarh all Revenue Land Area	Shamgarh	1475.30
Total Area :				1475.30

## SCHEDULE-2

Revised boundary of Shamgarh Nagar Parishad including the area shown in schedule No. 1 will be as below:—

- In the North—** Survey Number 01 Government birdie survey number 381 Kaluram Dulesingh covering the Number up to Sagoriya and Chandkhedi Kankad.
- In the South—** Survey Number 904 from Gopal Singh Kishanlal and Jorawar Singh Motisingh to survey No. 1432 surrounding all survey number in the middle of Government land to Barkheda Uda Dhamniya Diwan and Semlishankar,s Kankad.
- In the East—** From survey Number 381 Kaluram Dulesingh to survey No. 1432 Government, covering the entire survey Number till Dhabla Gurjar Makdawan and Semlishankar,s Kankad.
- In the West—** Surrounding all the survey Number from survey No. 01 Government virdie to survey No. 904 Gopal Singh Kishanlal till Chayan Jamuniya and Barkheda Uda Kankad.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
GAUTAM SINGH, Collector and Dy. Secy.